न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 124/2019 निगरानी

1. दुर्गालाल भाट पुत्र राजमल भाट निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर	बनाम	1. देवाराम पिता उदाराम गाछा निवासी बनास चौराहा, पण्डेर तहसील जहाजपुर 2. ग्राम पंचायत पण्डेर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर तहसील जहाजपुर
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध पट्टा संख्या 07 मिसल संख्या 42 दिनांक 07.12.2016 जिसके तहत दिनांक 07.05.2018 को ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया को निरस्त कराने बाबत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा, सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.09.2021

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी निगराकार ग्राम पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा का निवासी होकर भूतपूर्व सैनिक हैं तथा सेना में कार्य करते हुए प्रार्थी को पैरों (आंट) की बीमारी हो गई थी एवं प्रार्थी का लड़का विकलांग होने के कारण स्वयं का रोजगार चलाने के लिये प्रार्थी द्वारा सरकारी सेवा (सेना) से पेन्शन लेते समय स्वयं का रोजगार खोलने के लिये ग्राम पंचायत पण्डेर की आबादी मोहन नगर, बनास डाक बंगला रोड, बनास चौराहा पर 150 बाई 150 फिट का एक भूखण्ड रियायती दर पर दिलाने के लिये प्रार्थी ने उसके विभाग को एक प्रार्थनापत्र दिया तथा विभाग ने प्रार्थनापत्र दिनांक 30.07.94 को जिला कलेक्टर महोदय को कमाण्ड (मद्) एम. पी. के पत्रांक 6304 / जी टी दिनांक 01.08.1994 को सैनिक इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स के लेटर नम्बर 29098 / ALL/AG/PS5(B)/D/AG-II दिनांक 03.06.1964 के नियमों का पालन करते हुए आवेदन किया था जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा विकास अधिकारी जहाजपुर को भूखण्ड आवंटन हेतु आदेशित किया जिस पर विकास अधिकारी जहाजपुर द्वारा ग्राम पंचायत पण्डेर को भूखण्ड आवंटन हेतु आदेशित किया। विकास अधिकारी जहाजपुर द्वारा ग्राम पंचायत पण्डेर को भूखण्ड आवंटन हेतु आदेशित किये जाने के पश्चात ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा पत्रावली संख्या 4/94 भूमि विक्रय हेतु दर्ज कर नियमानुसार भूखण्ड देने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, मुताबिक प्लान से आबादी भूमि जो उबड़ खाबड, गहरे खड्डे एवं आवासिय प्रयोजन की नहीं थी को रसीद संख्या 95 दिनांक 23.08.94 को कोर्ट फीस एक रुपये एवं नक्शा फीस 5 रूपये लेकर उस भूमि पर नक्शा तैयार कर आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर श्रीमान जिला

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा एवं विकास अधिकारी जहाजपुर को अवगत कराते हुए ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 07.10.95 को सर्व सम्मती से प्रार्थी निगराकार भूतपूर्व सैनिक होने से एवं मुर्गी फार्म का डिप्लोमा किये होने से तथा क्षेत्र के विकास की दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए 150 बाई 150 फिट का भूखण्ड 40 पैसे प्रतिवर्ग फीट की दर से 9000/-- रूपये मे सर्वसम्मती से दिया गया एवं राशि जमा करा कर स्वयं का व्यवसाय चालू करने एवं पट्टा जारी किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रार्थी निगरकार ने उक्त 9000/-- रूपये की राशि जिसमें से 3000/-- रूपये रसीद संख्या 511 दिनांक 07.10.95 एवं 6000/ रूपये रसीद संख्या 205 दिनांक 20.11.95 के द्वारा जमा कराने पर ग्राम पंचायत पण्डेर ने प्रार्थी को मौके पर सम्पूर्ण पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति में भूखण्ड का नाप कर भूखण्ड का कब्जा प्रार्थी निगराकार को संभलाया गया। निगराकार को जिस स्थान पर 150 बाई 150 फिट का भूखण्ड दिये जाने का आदेश दिया जिसके पडौस तत्समय पूर्व मे कैलाश माली का प्लाट पश्चिम खाली आबादी भूमि, उत्तर में पड़त, दक्षिण में भीलवाड़ा देवली सड़क है का प्रस्तावित नक्शा बनाकर भूखण्ड देने का आदेश पारित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 150 बाई 150 वर्गफिट का कब्जा संभला दिये जाने के पश्चात प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड में स्थित गहरे खड्डे एवं उबड़ खाबड जमीन को तत्समय 70,000/-- रूपये की लागत लगाकर समतल करवाया एवं निर्माण सामग्री पत्थर, ईट एवं गिट्टी आदि मौके पर डलवाये एवं कार्य प्रारम्भ किया लेकिन पंचायत द्वारा यह कह कर कार्य बंद करवा दिया कि पत्रावली वास्त अनुमोदन हेतु पंचायत समिति में गई हुई है। इस कारण पंचायती समिति से पत्रावली प्राप्त होने पर पट्टा जारी किया जायेगा। प्रार्थी निगराकार ने पंचायत समिति मे जाकर भी पत्रावली की जानकारी की तो हर समय सरपंच, सचिव एवं पंचायत समिति के अधिकारियों ने प्रार्थी को टालमटोल जवाब दिया एवं कहा कि शीघ्र ही पट्टा जारी कर देगें, लेकिन पट्टा जारी नहीं किया इस कारण प्रार्थी निगराकार ने वर्ष 2009 मे जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा के यहां एंव कार्यलिय जिला परिषद के यहां कार्यवाही की तब उनके द्वारा विकास अधिकारी जहाजपुर को पट्टा दिलाने का आदेश दिनांक 01.06.2009 को दिया तत्पश्चात भी ग्राम पंचायत ने प्रार्थी निगराकार को पट्टा जारी नहीं किया। तत्पश्चात पंचायत समिति जहाजपुर की स्थाई समिति की बैठक में दिनांक 25.01.2012 को पट्टा जारी करने का आदेश ग्राम पंचायत पण्डेर को दिया तथा उसके पश्चात भी ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा पट्टा जारी नही किया गया। तत्पश्चात विकास अधिकारी जहाजपुर ने तत्काल प्रभाव से आवंटनशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का आदेश दिनांक 25.02.2014 को दिया उसके पश्चात भी ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी नही किया। तत्पश्चात चोथी बार विकास अधिकारी जहाजपुर ने ग्राम पंचायत को लिखा कि ग्राम पंचायत में राशि जमा होने के बावजूद भी प्रार्थी को पट्टा जारी नही किया गया है जो खेद की बात है तथा दिनांक 13.06. 2017 को पट्टा जारी करने का आदेश ग्राम पंचायत को दिया उसके बाद भी ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी नहीं किया। उक्तानुसार वर्ष 1995 मे से लेकर वर्ष 2017 तक लगातार ग्राम पचांयत को पट्टा जारी करने बाबत आदेश जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा, विकास अधिकार जहाजपुर द्वारा दिया जाता रहा लेकिन उनके द्वारा प्रार्थी निगराकार को पट्टा जारी नहीं किया गया जबकि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी निगरकार का कब्जा वर्ष 1995 से लगाकर वर्तमान तक चला आ रहा है तथा प्रार्थी निगराकार ने पत्थर, ईट इत्यादी डाल रखी है तथा प्रार्थी ने भूखण्ड के चारों और बाड़

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

कर रखी है तथा प्रार्थी ने नियमानुसार पंचायती कोष में राशि भी जमा करावा दी है। उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी के अलावा किसी अन्य के नाम जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 को लाभ पहुंचाने की नियत से वर्ष 1995 में प्रार्थी को जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के आदेशानुसार भूखण्ड का पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है तथा जिस पर प्रार्थी निगराकार का कब्जा है तथा प्रार्थी निगराकार ने नियमानुसार राशि भी जमा करवा रखी है। उक्त भूखण्ड मे से आंशिक भूभाग नपती 15 बाई 50 फिट का पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम दिनांक 07.05.2018 को जारी कर दिया एवं साथ ही 15 बाई 50 फिट का पट्टा मोहनी देवी पत्नी उदाराम गाछा को दिनांक 07.05.2018 को जारी कर दिया उक्त दोनों ही पट्टे ग्राम पंचायत में नियमों के विपरीत जारी किये है। इस कारण विपक्षी संख्या 1 को एवं मोहनी देवी पत्नी उदाराम गाछा को जारी किया गया पट्टा अपास्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया गया है वह आबादी भूमि का निशुल्क आवंटन के रूप में जारी किया है। जबकि जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है उसका नियमानुसार शुल्क पूर्व में ही प्रार्थी निगराकार से प्राप्त कर लिया गया है तथा कब्जा भी प्रार्थी निगराकार का था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था, बल्कि वर्ष 1995 से लगाकर वर्ष 2017 तक लगातार ग्राम पंचायत को प्रार्थी निगराकार को पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया। उसके पश्चात भी ग्राम पंचायत ने प्रार्थी निगराकार को पट्टा जारी नही कर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश पारित करते हुए पट्टा जारी किया है वह नियमों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया है उसमे किसी प्रकार के पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है। न ही विपक्षी संख्या 1 की और से कोई पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन ही प्रस्तुत किया तथा न ही स्थल निरक्षण ही किया गया है तथा न ही नियमानुसार आपत्ती सूचना पत्र ही जारी किये गये है अगर आपत्ती सूचनापत्र नियमानुसार जारी किया जाता तो प्रार्थी निगराकार को पंचायत की कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होती लेकिन ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 के साथ मिलाभगती कर प्रार्थी निगराकार की कब्जेशुदा भूमि का पट्टा जारी किया है। इस प्रकार ग्राम पचायत ने पट्टा जारी करने की नियमों की पालना नहीं की है एवं घोर अनियमितता कारित की है इस कारण जारी किया गया पट्टा अपास्त होने योग्य है। पंचायत ने नियम 158 पंचायती राज अधिनियम के तहत पट्टा जारी किया है विपक्षी संख्या 1 किसी प्रकार नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत ने नियमों के विपरीत विपक्षी संख्या 01 के साथ मिलाभगती कर प्रार्थी निगराकार को हानि पहुंचाने की नियत से विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 07 जो मिसल संख्या 42 दिनांक 07.12.2016 जिसके तहत दिनांक 07.05.2018 को ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 10.12.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही हैं। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। निगराकार अधिवक्ता की

अति. जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों दोहराते हुये अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी निगराकार ग्राम पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा का निवासी होकर भूतपूर्व सैनिक हैं तथा सेना में कार्य करते हुए प्रार्थी को दिल (हार्ट) की बीमारी हो गई थी एवं प्रार्थी का लड़का विकलांग होने के कारण स्वयं का रोजगार चाहने के लिये प्रार्थी द्वारा सरकारी सेवा (सेना) से पेन्शन लेते समय स्वयं का रोजगार खोलने के लिये ग्राम पंचायत पण्डेर की आबादी मोहन नगर, बनास डाक बंगला रोड, बनास चौराहा पर 150 बाई 150 फिट का एक भूखण्ड रियायती दर पर दिलाने के लिये प्रार्थी ने उसके विभाग को एक प्रार्थनापत्र दिया तथा विभाग ने प्रार्थनापत्र दिनांक 30.07.94 को जिला कलेक्टर महोदय को कमाण्ड (महू) एम. पी. के पत्रांक 6304 / जी टी दिनांक 01.08.1994 को सैनिक इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स के लेटर नम्बर 29098 /ALL/AG/PS5(B)/D/AG-II दिनांक 03.06.1964 के नियमों का पालन करते हुए आवेदन किया था जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा विकास अधिकारी जहाजपुर को भूखण्ड आवंटन हेतु आदेशित किया जिस पर विकास अधिकारी जहाजपुर द्वारा ग्राम पंचायत पण्डेर को भूखण्ड आवंटन हेतु आदेशित किया। विकास अधिकारी जहाजपुर द्वारा ग्राम पंचायत पण्डेर को भूखण्ड आवंटन हेतु आदेशित किये जाने के पश्चात ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा पत्रावली संख्या 4/94 भूमि विकय हेतु दर्ज कर नियमानुसार भूखण्ड देने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, मुताबिक प्लान से आबादी भूमि जो उबड़ खाबड, गहरे खड्डे एवं आवासिय प्रयोजन की नहीं थी को रसीद संख्या 95 दिनांक 23.08.94 को कोर्ट फीस एक रुपये एवं नक्शा फीस 5 रूपये लेकर उस भूमि पर नक्शा तैयार कर आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा एवं विकास अधिकारी जहाजपुर को अवगत कराते हुए ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 07.10.95 को सर्व सम्मती से प्रार्थी निगराकार भूतपूर्व सैनिक होने से एवं मुर्गी फार्म का डिप्लोमा किये होने से तथा क्षेत्र के विकास की दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए 150 बाई 150 फिट का भूखण्ड 40 पैसे प्रतिवर्ग फीट की दर से 9000/– रूपये में सर्वसम्मती से दिया गया एवं राशि जमा करा कर स्वयं का व्यवसाय चालू करने एवं पट्टा जारी किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रार्थी निगरकार ने उक्त 9000/– रूपये की राशि जिसमें से 3000/– रूपये रसीद संख्या 511 दिनांक 07.10.95 एवं 6000/ रूपये रसीद संख्या 205 दिनांक 20.11.95 के द्वारा जमा कराने पर ग्राम पंचायत पण्डेर ने प्रार्थी को मौके पर सम्पूर्ण पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति में भूखण्ड का नाप कर भूखण्ड का कब्जा प्रार्थी निगराकार को संभलाया गया। निगराकार को जिस स्थान पर 150 बाई 150 फिट का भूखण्ड दिये जाने का आदेश दिया जिसके पडौस तत्समय पूर्व मे कैलाश माली का प्लाट पश्चिम खाली आबादी भूमि, उत्तर में पड़त, दक्षिण में भीलवाड़ा देवली सड़क है का प्रस्तावित नक्शा बनाकर भूखण्ड देने का आदेश पारित किया गया। किन्तु ग्राम पचांयत ने उक्त भूखण्ड मे से आंशिक भूभाग नपती 15 बाई 50 फिट का पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम दिनांक 07.05.2018 को जारी कर दिया एवं साथ ही 15 बाई 50 फिट का पट्टा मोहनी देवी पत्नी उदाराम गाछा को दिनांक 07.05.2018 को जारी कर दिया उक्त दोनों ही पट्टे ग्राम पंचायत में नियमों के विपरीत जारी किये है। इस कारण विपक्षी संख्या 1 को एवं मोहनी देवी पत्नी उदाराम गाछा को जारी किया गया पट्टा अपास्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 को जो पट्टा

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

जारी किया गया है वह आबादी भूमि का निशुल्क आवंटन के रूप में जारी किया है। जबकि ग्राम पंचायत ने जिस भूखण्ड का पट्टा पूर्व में जारी किया गया है उसका नियमानुसार शुल्क पूर्व में ही प्रार्थी निगराकार से प्राप्त कर लिया गया है तथा कब्जा भी प्रार्थी निगराकार का था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था। ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया है उसमे किसी प्रकार के पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है। न ही विपक्षी संख्या 1 की ओर से कोई पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन ही प्रस्तुत किया तथा न ही स्थल निरीक्षण ही किया गया है तथा न ही नियमानुसार आपत्ती सूचना पत्र ही जारी किये गय है, अगर आपत्ती सूचनापत्र नियमानुसार जारी किया जाता तो प्रार्थी निगराकार को पंचायत की कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होती लेकिन ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 के साथ मिलाभगती कर प्रार्थी निगराकार की कब्जेशुदा भूमि का पट्टा जारी किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने की नियमों की पालना नहीं की है एवं गार अनियमितता कारित की है इस कारण जारी किया गया पट्टा अपास्त होने योग्य है। पंचारात ने नियम 153 पंचायती राज अधिनियम के तहत पट्टा जारी किया है। विपक्षी संख्या 1 किसी प्रकार नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं है। निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 07 जो मिसल संख्या 42 दिनांक 07.12.2016 जिसके तहत दिनांक 07.05.2018 को ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा विपक्षी संख्या 01 को पट्टा जारी किया को निरस्त फरमाया जावे। निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी के समर्थन में देवाराम व मोहनी देवी के शपथ पत्र पेश किये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि विपक्षी देवाराम के शपथ पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा विपक्षी देवाराम को एक निशुल्क पटटा बनास चौराया पर जारी किया गया था, लेकिन जिस भूमि का पटटा आवंटन किया गया, उस भूमि को पूर्व में ही भूतपूर्व सैनिक दूर्गालाल भाट पिता राजमल भाट निवासी पण्डर को सरकार द्वारा वर्ष 1995 में ही दे दी गयी थी। तभी से उस भूमि को दूर्गालाल पिता राजमल भाट द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। विपक्षी देवाराम जिस जगह पर पिछले 40 वर्षों से निवास कर रहा है, उस जगह पर विपक्षी देवाराम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान का निर्माण कर लिया हैं, जिससे ग्राम पंचायत पण्डेर से विपक्षी को जो पटटा संख्या 07 दिनांक 7.5.2018 से जारी किया गया, उसे अब विपक्षी देवाराम निरस्त कराना चाहता हैं एवं जो मूल पटटा पंचायत द्वारा जारी किया गया वह भी पंचायत में जमा करा रहा है।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पत्र दिनांक 08.04.2019 अनुसार भी विपक्षी देवाराम गाछा ने श्रीमान जिला कलक्टर महादय भीलवाडा को पत्र लिखकर निवेदन किया कि उसे आवंटित पटटा उसके कब्जेसुदा व निवासरत कच्ची झोपडी के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्लॉट संख्या 4 व 5 पर नही देकर ग्राम पंचायत द्वारा दूसरे के भूखण्ड में प्लॉट संख्या 16 पर पटटा संख्या 7 व 8 जारी किया गया, जिस पर दुर्गालाल भाट का कब्जा हैं। अतः पटटा संख्या 7 व 8 की जगह पर प्लॉट संख्या 4 व 5 पर निशुल्क भूखण्ड आवंटित किया जाये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की मिसल संख्या 4/94 की आदेशिका दिनांक 07.10.95 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी निगराकार भूतपूर्व सैनिक होने से एवं क्षैत्र के विकास की दृष्टि से प्रार्थी निगराकार को रियायती दर 40 पैसा प्रति वर्गफीट से कुल 9000/–रूपये की राशि जमा करायी जाने पर पटटा जारी किये जाने की स्वीकृति दी गयी। प्रार्थी निगराकार द्वारा नियमानुसार राशि जमा करायी जाने पर ग्राम पंचायत पण्डेर के पत्रांक/96–96 दिनांक 29.11.96 से प्रमाण पत्र जारी किया गया कि प्रार्थी निगराकार द्वारा उक्त आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य शुरू कराने में पंचायत को कोई आपत्ति नही हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 4/94 आदेशिका दिनांक 07.10.95 एवं विपक्षी देवाराम गाछा द्वारा स्वयं के शपथ पत्र अनुसार विपक्षी को ग्राम पंचायत द्वारा सही तौर पटटा आवंटित नही किया जाना प्रकट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड ग्राम पंचायत पण्डेर तहसील जहाजपुर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा